भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2662

दिनांक 25 मार्च 2022 के लिए प्रश्न

सरकारी आश्रय गृह

2662. श्री नीरज डांगी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आवारा पशुओं की देखभाल करने वाले सरकारी आश्रय गृहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कई आश्रय गृहों को जगह की कमी और असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन आश्रय गृहों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) आवारा पशुओं की देखभाल करना राज्य का विषय है। इसलिए, आश्रय गृहों की स्थापना और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार में आश्रय गृहों से संबंधित सूचना नहीं रखती है। तथापि, जो जीव-जंतु कल्याण संगठन मान्यता प्रदान करने और अनुदान मांगने के लिए भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से संपर्क करते हैं, उसकी सूचना भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट http://awbi.in/awbi-pdf/recolist_24032022.pdf पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ) आश्रय गृहों की स्थापना राज्यों द्वारा रखे जाने वाले आवारा पशुओं की संख्या के आधार पर की जाती है। राज्य आश्रय गृहों की स्थापना और रखरखाव के लिए विभिन्न उपाय और निधियों की व्यवस्था कर रहे हैं। भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड उनके अनुरोध के अनुसार पशुओं को खिलाने और पशुचिकित्सा देखभाल के साथ-साथ आश्रय गृहों की स्थापना और निधियों की उपलब्धता के आधार पर एडब्ल्यूबीआई से मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संगठनों की सहायता कर रहा है।

****